

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/83808/BAN/BANDA/230/CFO

दिनांक: 25-05-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ST MARY S SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **KHASARA NO. 1180, PART 1181 and 1182, 1184, 1185, 1188, MAUJA LADAKA PURWA, TINDWARI ROAD, BANDA** तहसील - **BANDA** जिसमें

ब्लॉक / टावर	तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
MAIN and JUNIOR BLOCK	3	0	11.70 mt.

तथा प्लॉट एरिया **27042.72 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **ST MARY S SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **30-05-2023** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **APPLICANT** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **02-06-2023** से **01-06-2026** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : Note : fso की निरीक्षण आख्या दिनांक 29/05/2023 के संस्तुति के आधार पर निम्न शर्तों पर नवीनीकरण noc निर्गत की जाती है अग्निशमन व्यवस्थायें शा0आदे0 18 छः-पु0-8-2022-905-34-216 टी0सी0 दिनांक 07.01.2022 के एनेक्सजर बी के अनुरूप पायी गयी सैटबैक की सहमति प्रश्रुत शा0आदे0 के अनुसार सत्ताप्राधिकारी से लेना अनिवार्य होगा प्रश्रुत शैक्षणिक भवन के अधिभोग/भवन संरचना में बदलाव करने/अग्निशमन व्यवस्था की अकार्यशीलता की दशा में/भवन उपविधि मानको का अनुपालन न करने/समय से नवीनीकरण न कराने/स्वामित्व सम्बन्धी विवाद की दशा में/सत्ताप्राधिकारी शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानको का उल्लंघन करने की दशा में उक्त को स्वतः निरस्त माना जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

MUKESH KUMAR

313285D63EB5295BDB44EF54B98F2191FCDCA9ED

02-06-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : **02-06-2023**
स्थान : **BANDA**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.